मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की द्वितीय अनुसूची में,-

(१) भाग एक में, अनुक्रमांक ३ और ४ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	इंदौर	इंदौर, धार तथा झाबुआ.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना तथा भिण्ड.

(२) भाग दो में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"४.	क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन	खरगोन	खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी तथा अलीराजपुर.
५.	क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना.	गुना	गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी .

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (३) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक २ सन् २०२४) एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश भौगोलिक रूप से अत्यंत विस्तृत एवं सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण राज्य है. इस विस्तृत राज्य के युवाओं, को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना एक चनौतीपूर्ण कार्य है. मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को लागू करने वाला अग्रणी राज्य है. मध्यप्रदेश का वर्ष २०२१-२२ के लिए सकल पंजीयन अनुपात २८.९ प्रतिशत है तथा देश का औसत सकल पंजीयन अनुपात २८.४ प्रतिशत है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० में, सकल पंजीयन अनुपात को वर्ष २०३५ तक ५० प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है.

२. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों का सम्बद्धता-भार कम किए जाने का भी लक्ष्य है. पूर्व स्थापित विश्वविद्यालयों की अधिकारिता को सीमित किए जाने से उनके सम्बद्धता-भार में कमी आएगी जिससे उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि होगी.

३. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि नए सम्बद्धतादायी विश्वविद्यालय खोले जाएं तथा आदिवासी क्षेत्रों में संबद्धता देने योग्य विश्वविद्यालय स्थापित हों. इस तारतम्य में, खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन तथा गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना स्थापित किए जा रहे हैं.

४. अतएव, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना स्थापित किए जाने के प्रयोजन से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

५. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक २ सन् २०२४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : जुलाई, २०२४.

इंदर सिंह परमार
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) पहेली से स्थापित किए जाने वाले क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगोन एवं क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना के लिए पदों का सृजन एवं अन्य वित्तीय स्वीकृति संबंधी स्वीकृति मंत्रि-परिषद से प्राप्त हो गई है. तदनुसार अनुमानित आवर्ती व्ययभार प्रत्येक विश्वविद्यालय हेतु राशि रूपये १०.०० करोड़ प्रतिवर्ष, आकस्मिकता निधि रूपये ३.०० करोड़ एवं अनावर्ती व्ययभार प्रत्येक विश्वविद्यालय हेतु राशि रूपये ५०.०० करोड़ आना संभावित है.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों का सम्बद्धता-भार कम करने तथा पूर्व स्थापित विश्वविद्यालयों की अधिकारिता को सीमित किए जाने की आवश्यकता थी साथ ही नए सम्बद्धतादायी विश्वविद्यालय खोले जाने एवं आदिवासी क्षेत्रों में सम्बद्धता देने योग्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता थी.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक २ सन् २०२४) इस प्रयोजन के लिए प्रस्थापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ क्रमांक २२ सन् १९७३ से उद्धरण.

भाग-एक

(धारा २ (दो) तथा ४ (सत्रह) (एक) देखिए)

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, आगर-मालवा और नीमच.
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और डिण्डौरी
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	इंदौर	इंदौर, झाबुआ, धार, खरगौन (पश्चिम निमाड़), खण्डवा (पूर्व निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर और बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर और अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा और बैतूल.
७.	पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल	शहडोल	शहडोल, उमरिया और अनूपुपर.

भाग-दो

(धारा ४ (सत्रह) (दो) देखिए)

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी
२.	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट
३.	रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर	सागर	सागर और दमोह

द्वितीय अनुसूची

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, आगर-मालवा और नीमच.
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और डिण्डौरी
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	इंदौर	इंदौर, झाबुआ, धार, खरगौन (पश्चिम निमाड़), खण्डवा (पूर्व निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर और बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर और अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा और बैतूल.
७.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी
८.	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट
९.	पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल	शहडोल	शहडोल, उमरिया और अनूपपुर.
१०.	रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर	सागर	सागर और दमोह

उपाबंध

प्रथम अनुसूची

(धारा २ (एक) देखिए)

निरसित अधिनियमितियां

१. यूनीवर्सिटी आफ सागर एक्ट, १९४६ (क्रमांक ६ सन् १९४६)

२. मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय विधान, १९५५ (क्रमांक ८ सन् १९५५)

३. जबलपुर यूनीवर्सिटी एक्ट, १९५६ (क्रमांक २२ सन् १९५६)

४. रविशंकर यूनीवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक ३ सन् १९६३)

५. इन्दौर यूनीवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक ४ सन् १९६३)

६. जीवाजी यूनीवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक ५ सन् १९६३)

७. अवधैश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २२ सन् १९६८)

८. भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७० (क्रमांक २८ सन् १९७०)

९. पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६)

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.